(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 742–दो/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 17–2–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 93/2000–01/अपील.

सोनीबाई विधवा पुनाजी
निवासी ग्राम सकतखेड़ी परगना खाचरौद
जिला उज्जैन ..... आवेदिका

विरुद्ध

1. रामसिंह पिता बगदीराम बागरी
   निवासी सकतखेड़ी परगना खाचरौद
   जिला उज्जैन
2. मांगू पिता कम्माजी
   निवासी सकतखेड़ी परगना खाचरौद
   जिला उज्जैन ..... अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 मार्च,2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी आवेदन पत्र म.प्र. भू–राजस्व संहिता,1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत् अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक–1 रामसिंह ने मृतक भूमिस्वामी नाथीबाई के नाम पर दर्ज भूमि का वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार खाचरोद के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/96–97 दर्ज किया। मांगू तथा सोनीबाई जो मृतक की पुत्री है ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27–3–99 के द्वारा वसीयत सिद्ध मानते हुये अनावेदक क्रमांक–1 रामसिंह एवं आवेदिका सोनीबाई का नाम अंकित करने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक–2 मांगू ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 25–8–2000 में आदेश पारित कर यह मानते हुये कि

नाथीबाई के द्वारा रामसिंह को गोद नहीं लिया जा सकता था अतः गोद को अवैध मानकर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर मृतक की पुत्री के नाम पर नामांतरण करने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक–1 रामसिंह ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17–2–2011 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका मृतक नाथीबाई की वैध उत्तराधिकारी होकर जाइन्दा पुत्री है। अनावेदक क्रमांक–1 रामसिंह को नाथीबाई ने कभी भी गोद नहीं लिया और न ही गोद की कोई रस्म हुई है। यह भी तर्क दिया कि विधि अनुसार 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ही गोद लिया जा सकता है। कथित दिनांक को गोद लिया जाना बतलाया गया है उस दिनांक को अनावेदक क्रमांक–1 शादीशुदा होकर बच्चों का पिता था। ऐसी स्थिति में अनावेदक गोदी पुत्र नहीं हो सकता है। तर्क में यह भी कहा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् आवेदिका स्व0 नाथीबाई की एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा उसे स्व0 नाथीबाई की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकों के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक–1 रामसिंह ने रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर तहसील न्यायालय में स्व0 नाथीबाई के स्थान पर नामांतरण हेतु संहिता की धारा 110 के अंतर्गत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनावेदक क्रमांक–2 मांगू पिता कम्माजी ने लिखित आपत्ति पेश की कि प्रश्नाधीन भूमि का रिकार्ड में स्व0 नाथीबाई एवं आपत्तिकर्त्ता की बहन गंगाबाई भूमिस्वामी दर्ज है। नाथीबाई तथा सोनीबाई उसी के साथ रहती थीं। नाथीबाई के पति नाथा जी आपत्तिकर्त्ता के पिता कम्माजी के भाई थे नाथीबाई ने रामसिंह को कभी गोद नहीं लिया। नाथीबाई तथा सोनीबाई की सहमति से विचाराधीन भूमि कास्त कर रहा है। आवेदिका सोनीबाई ने भी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की वह नाथीबाई की एकमात्र पुत्री है – नाथीबाई ने कभी रामसिंह को गोद नहीं लिया। गोदीनामे की कोई रस्म नहीं हुई। नाथीबाई की मृत्यु के बाद विचाराधीन भूमि की वही एकमात्र उत्तराधिकारी है। उसके नामांतरण के लिये आवेदन दिया था परन्तु रामसिंह की आपत्ति प्रस्तुत होने के कारण कोई निराकरण नहीं हो सका। इसी बीच

रामसिंह ने गोदीनामा के आधार पर नामांतरण का आवेदन कर दिया। गोदीनामा फर्जी है। आवेदिका तथा उसकी माता नाथीबाई कभी रामसिंह के घर नहीं रहीं। आवेदिका के पिता नाथाजी तथा मांगू के पिता कम्माजी भाई थे। रामसिंह के पिता बगदीराम नाथीबाई के भाई नहीं थे। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 27–3–99 से रजिस्टर्ड गोदनामा को वैध माना तथा विचाराधीन भूमि पर उसे दत्तकपुत्र मानते हुए तथा आवेदिका सोनीबाई को नाथीबाई की पुत्री मानते हुए दोनों को 1/2, 1/2 बराबर भाग पर नामांतरण दर्ज करने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने सोनीबाई की अपील पर आदेश दिनांक 25–8–2000 को इस आधार पर कि हिन्दू दत्तक पुत्र तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत् प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख करते हुए अनावेदक रामसिंह का दत्तक होना प्रमाणित नहीं माना तथा दत्तक हेतु किसी प्रकार की रूढि होना प्रमाणित नहीं माना। अनावेदक रामसिंह का दत्तक पुत्र होने के नाते तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश भी निरस्त किया तथा केवल अपीलार्थी सोनीबाई का नामांतरण करने का आदेश दिया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 17–2–11 में गोदनामा को त्रुटिवश वसीयत लिखते हुए – गोदीनामा को साक्षियों के कथन से रूढ़ि परम्परा अनुसार दत्तक लिया जाना सिद्ध माना तथा इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–8–2000 निरस्त किया तथा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदिका सोनीबाई का नाथीबाई की पुत्री होना निर्विवाद है, विवाद केवल रामसिंह के दत्तक होने पर है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष इस संबंध में अलग हैं। रामसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा को आवेदिका ने किसी सक्षम न्यायालय को चुनौती दी हो ऐसा प्रकट नहीं होता। वसीयतनामा पर आवेदिका सोनीबाई के भी निशानी अंगूठा हस्ताक्षर हैं। यदि उसके हस्ताक्षर नि. अंगूठा फर्जी थे तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए थी। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा रामसिंह को दत्तक पुत्र मानकर किया गया नामांतरण आदेश उचित प्रतीत होता है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त दिनांक 17–2–2011 एवं तहसीलदार दिनांक 27–3–99 का आदेश स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर